



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 355]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 18, 2018/भाद्र 27, 1940

No. 355]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 18, 2018/BHADRA 27, 1940

भारतीय दन्त परिषद

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2018

सं. डीई-226-2017.—दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948 का 16वाँ) की धारा 20 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दन्त परिषद, केंद्र सरकार की अग्रिम स्वीकृति के साथ, और मूल “सतत दन्त शिक्षा विनियम, 2007” के अधिक्रमण में, सिवाय उक्त अधिक्रमण से पूर्व किए गए या करने से छोड़े गए बिन्दु, एतद्वारा निम्नलिखित विनियमों का गठन करती है:-

1. लघु शीर्षक एवं प्रारंभ:-

- 1.1. इन विनियमों को सतत दन्त शिक्षा विनियम, 2018 कहा जा सकता है।
- 1.2. ये आधिकारिक राजपत्र में अपने प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होंगे।

2. परिभाषाएँ— इस विनियम में, बशर्ते कोई चीज विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो, -

- 2.1. “सीडीई” का अर्थ व्याख्यान, प्रदर्शन, व्यावहारिक अनुभव, दन्त पेशेवरों और पैरा-डेंटल स्टाफ़ के प्रशिक्षण के संबंध में किसी ऐसी गतिविधि से है जिसका परिणाम रोगी देखभाल और पेशेवराना रवैये की बेहतरी की दिशा में दन्त पेशेवरों के ज्ञान, कौशल एवं रवैये को प्रभावित करने वाले ज्ञान की प्रदायगी, सुधार, वर्धन, वृद्धि और उन्नति के रूप में मिलता हो।
- 2.2. “सीडीई प्रदाताओं” में दन्त विभागों वाले सभी डीसीआई/एमसीआई से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान, सरकारी संस्थाएँ एवं सशस्त्र बल शामिल हैं। सीडीई प्रदाताओं, जैसे पेशेवर संघों एवं राष्ट्रीय विशेषज्ञता संगठनों, को उनके तत्वावधान में आयोजित बैठकों एवं सम्मेलनों हेतु सीडीई पॉइंट प्रदान किए जाने के लिए डीसीआई/राज्य दन्त परिषदों के समक्ष आवेदन करना होगा, और यह अनुमोदन 5 वर्षों की अवधि के लिए मान्य होगा, जो समीक्षा के अधीन है।

3. सीडीई कार्यक्रमों का सुप्रचालन एवं प्रबंधन

सीडीई का मूल उद्देश्य रोगी देखभाल एवं पेशेवर रवैये की बेहतरी के लिए दन्त चिकित्सकों के कौशल एवं रवैये को उन्नत करना है, और इसलिए इसका आयोजन अकादमिक परिवेश में और समय एवं शुल्क आदि की दृष्टि से प्रतिभागियों की सुविधा को ध्यान में रखकर किया जाना बेहतर है।

4. सीडीई कार्यक्रमों के प्रकार

यदि सीडीई का परिणाम निम्नलिखित में से किसी भी एक/अधिक/सभी प्रारूपों में दन्त पेशेवरों को ज्ञान प्रदान करने, उसमें सुधार, वर्धन, वृद्धि एवं उन्नति करने के रूप में प्राप्त होता है, तो सीडीई को मान्य माना जाएगा

- 4.1. व्याख्यान – व्याख्यान किसी प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर, यथा पाँवर पाँइंट, कीनोट, ओएचपी आदि में होना चाहिए
- 4.2. व्याख्यान-सह-प्रदर्शन – प्रदर्शन टायपोडोंट दौंतों या निष्कर्षित दौंतों पर होना चाहिए
- 4.3. रोगियों पर सजीव प्रदर्शन – केवल पंजीकृत दन्त शल्यचिकित्सक द्वारा किया जाएगा*
- 4.4. अनुकार (सिमुलेशन) प्रशिक्षण (व्याख्यान के साथ)
- 4.5. वीडियो कॉन्फरेंसिंग
- 4.6. वेबिनार
- 4.7. मॉडरेटर के साथ वीडियो व्याख्यान
- 4.8. कौशल वर्धन के लिए कोई व्यावहारिक गतिविधि
- 4.9. समय-समय पर डीसीआई द्वारा विहित एवं स्वीकृत की जा सकने वाली ऐसी अन्य कोई विधा जो पेशेवरों को ज्ञान एवं कौशल प्रदान करती हो और उनमें सुधार, वर्धन, वृद्धि, एवं उन्नति करती हो।

***किसी भी राज्य दन्त परिषद में पंजीकृत विदेशी शिक्षक को धारा 34(2)(b) के अंतर्गत भारतीय दन्त परिषद से अस्थायी पंजीयन लेना होगा।**

5. भारत में सतत दन्त शिक्षा/दन्त शिक्षा का वैश्विक परिप्रेक्ष्य:

- 5.1. भारत का जनसांख्यिकीय प्रोफाइल अब बदल कर कम जन्म दर, कम मृत्यु दर वाला हो रहा है, एवं जनसंख्या के 1.6 अरब पर जाकर स्थिर हो जाने का अनुमान है। जनसंख्या की आयु संबंधी प्रोफाइल के 2025 तक बदल जाने का अनुमान है जिसमें 15 वर्ष से कम आयु वर्ग की जनसंख्या में कमी आएगी, पर साथ-ही-साथ 60 वर्ष तक के और 60 वर्ष से अधिक की आयु के वयस्कों की जनसंख्या में भी एक आनुपातिक वृद्धि होगी। इस बदलती जनसांख्यिक प्रोफाइल के साथ-साथ रोग पैटर्न भी निश्चित रूप से बदलेंगे, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरुकता के स्तरों में वृद्धि होगी, व्यक्ति और सरकार द्वारा स्वास्थ्य पर अधिक व्यय किया जाएगा। भारत के परिप्रेक्ष्य में रोगी केंद्रित और साक्ष्य आधारित स्वास्थ्य देखभाल मॉडल स्पष्ट होता जा रहा है। वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में आर्थिक वृद्धि और विकास के एक अग्रणी शक्ति-स्रोत के रूप में भारत के उभार के कारण जनता, नीति नियोजकों और शीर्षक नियामक संस्था डीसीआई, इन सभी की ओर से दन्त स्वास्थ्य देखभाल एवं शैक्षिक परिदृश्य का समालोचनात्मक मूल्यांकन किया जा रहा है।
- 5.2. उच्चतर शिक्षण के दन्त संस्थानों में हो रही तीव्र वृद्धि और प्रौद्योगिकीय एवं वैज्ञानिक प्रगति की तीव्र गति के कारण जहाँ दन्त चिकित्सक-जनसंख्या अनुपात में लगातार सुधार आ रहा है, वहीं दन्त चिकित्सालय में एचआईवी/एड्स, हेपेटाइटिस के बढ़ते खतरे और पार-संदूषण के बढ़ते जोखिम सतत दन्त शिक्षा का एक ऐसा तंत्र अनिवार्य बनाते हैं जो दन्त चिकित्सक को वर्तमान ज्ञान एवं कौशल की दृष्टि से जागरुक रखे, और ऐसा करके देखभाल के मानकों में वर्धन करे और साथ-ही-साथ भारतीय दन्त शिक्षा एवं स्वास्थ्य देखभाल तंत्र को वैश्विक मॉडल पर भी लेकर आए।

6. सतत दन्त शिक्षा के लिए पाँइंट व्यवस्था का कार्यान्वयन

- 6.1. भारत के दन्त चिकित्सकों के लिए एक सीडीई क्रेडिट पाँइंट व्यवस्था होगी और प्रत्येक दन्त चिकित्सक समय-समय पर संबंधित राज्य दन्त परिषद को सूचित करेगा, अन्यथा इसे "संशोधित दन्त चिकित्सक (नैतिकता संहिता) विनियम, 2014" के उपबंधों का उल्लंघन माना जाएगा।
- 6.2. प्रत्येक दन्त चिकित्सक को हर 5 वर्ष की अवधि के अंदर कुल 100 क्रेडिट पाँइंट प्राप्त करने होंगे, बशर्ते प्रति वर्ष न्यूनतम 20 क्रेडिट पाँइंट तथा अधिकतम 25 क्रेडिट पाँइंट प्राप्त किए जाएँ। पाँच वर्षों में कुल 100 क्रेडिट पाँइंट में से, बीस क्रेडिट पाँइंट निम्नलिखित अनिवार्य विषय-बिंदुओं के लिए निर्धारित किए जाएंगे (प्रत्येक विषय-बिंदु के लिए पाँच क्रेडिट पाँइंट):
 - 6.2.1. अपूर्ति (एसेप्सिस), संक्रमण नियंत्रण एवं अवशिष्ट प्रबंधन, एनएसीओ प्रोटोकॉलों सहित
 - 6.2.2. दन्त न्यायशास्त्र एवं नैतिकता
 - 6.2.3. सीपीआर एवं आधारभूत जीवन सहयोग
 - 6.2.4. दन्त अभ्यास प्रबंधन
- 6.3. यदि किसी दन्त चिकित्सक ने 5 वर्षों के आवंटित समय के अंदर कम-से-कम 75 सीडीई पाँइंट प्राप्त कर लिए हैं, और यदि किसी कारणवश वह निर्धारित समय के अंदर अनिवार्य 100 सीडीई पाँइंट प्राप्त नहीं कर पाया है, तो उसे वे प्राप्त करने के लिए एक वर्ष की अनुकंपा अवधि प्रदान की जा सकती है। हालांकि, यदि दन्त चिकित्सक 5 वर्ष की अवधि के अंदर 75 से कम सीडीई पाँइंट प्राप्त करता है तो इसे अनैतिक कृत्य माना जाएगा एवं तदनुसार उस पर विचार किया जाएगा।

7. सीडीई पॉइंट प्रदान करना

7.1. क्रेडिट पॉइंट निम्नवत प्रदान किए जाएंगे:

7.1.1. पूरे दिन का व्याख्यान या सम्मेलन (6 घंटे)	6 सीडीई पॉइंट
7.1.2. आधे दिन का व्याख्यान या कार्यशाला (3 घंटे)	3 सीडीई पॉइंट
7.1.3. सायंकालीन उत्पाद परिचय/व्याख्यान व्यापारिक सभा (60 मिनट)	1 सीडीई पॉइंट
7.1.4. 60 मिनट का वेबिनार, प्रश्नोत्तरी सहित (वेबिनार हेतु पॉइंट प्रश्न का उत्तर दे देने के बाद ही दिए जाएंगे)	1 सीडीई पॉइंट
7.1.5. 60 मिनट की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (केवल कॉन्फ्रेंस के दौरान)	1 सीडीई पॉइंट
7.1.6. मॉडरेटर के साथ 60 मिनट का वीडियो व्याख्यान	1 सीडीई पॉइंट

नोट: (i) प्रचलित अंतरराष्ट्रीय मानकों की अनुरूपता में एक क्रेडिट पॉइंट एक घंटे के सीडीई कार्यक्रम के समतुल्य होगा।

(ii) क्रेडिट पॉइंट की अधिकतम दैनिक सीमा 6 है, भले ही कार्यक्रम 6 घंटे से अधिक समय तक चले।

(iii) परास्नातक अर्हता वाले दन्त शिक्षक द्वारा किसी अनुमोदित/मान्यता प्राप्त दन्त महाविद्यालय में संचालित संगोष्ठियाँ/कार्यशालाएँ भी सीडीई क्रेडिट पॉइंट प्रदान करने हेतु मान्य मानी जाएंगी।

7.2 वक्ता दोगुने सीडीई क्रेडिट पॉइंट प्राप्त करने के पात्र हैं।

8. छूट

8.1. 65 वर्ष से अधिक आयु वाले दन्त चिकित्सक।

8.2. किसी दन्त महाविद्यालय में कार्यरत एमडीएस अर्हता वाले दन्त शिक्षक जो परास्नातक उपाधि दन्त शिक्षा प्रदान कर रहे हों एवं जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त दन्त महाविद्यालय में एमडीएस अध्यापन का 15 वर्षों से अधिक का अनुभव हो।

8.3. परास्नातक विद्यार्थी, उनके पाठ्यक्रम के दौरान*।

8.4. गर्भावस्था एवं प्रसव के लिए एक वर्ष की छूट दी जाती है।**

8.5. 5 वर्षों की किसी भी अवधि पर विचार किए जाने के लिए, संबंधित राज्य दन्त परिषद को किसी भी दन्त चिकित्सक के संबंध में गंभीर चिकित्सीय स्थिति*** की अवधि की छूट देनी होगी।

* पाठ्यक्रम की अवधि पर निर्भर करते हुए अधिकतम 60 क्रेडिट पॉइंट घटाए जा सकते हैं।

** 20 क्रेडिट पॉइंट घटाए जा सकते हैं।

*** गंभीर चिकित्सीय स्थिति का राज्य के सक्षम सरकारी प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणन किया जाएगा।

9. राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय वक्ताओं का प्रत्यायन (वक्ता बैंक)

9.1. सीडीई कार्यक्रमों के संचालन हेतु भारतीय दन्त परिषद / राज्य दन्त परिषद द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित/पंजीकृत हुए प्रत्यायित वक्ता सीडीई का संचालन करेंगे।

9.2. वक्ता (शैक्षिक संस्थानों के शिक्षक शामिल) आवश्यकतानुसार डीसीआई / राज्य दन्त परिषद के समक्ष अपने सीवी, व्याख्यान का विवरण एवं (सजीव व्याख्यानों की) सीडी और साथ में राज्य दन्त परिषदों के उत्तम स्थिति प्रमाणपत्र के साथ आवेदन प्रस्तुत करेंगे।

9.3. भारतीय दन्त परिषद / राज्य दन्त परिषद द्वारा नियुक्त समिति वक्ताओं का प्रत्यायन करेगी।

9.4. केवल डीसीआई / राज्य दन्त परिषद द्वारा प्रत्यायित वक्ताओं द्वारा संचालित कार्यक्रमों को ही सीडीई पॉइंट आवंटित किए जाएंगे।

9.5. किसी भी वाणिज्यिक, औद्योगिक या प्रचार-प्रसार संबंधी हित के अस्वीकरण की घोषणा। इस संबंध में संशोधित दन्त चिकित्सक (नैतिकता संहिता) विनियम, 2014 के विंदु 8.15 के उपबंधों का संदर्भ लिया जा सकता है।

10. सीडीई क्रेडिट पॉइंट का आकलन तंत्र

10.1. केवल मान्य पेशेवरों, जिन्होंने संपूर्ण सीडीई गतिविधि में भाग लिया हो, को ही सीडीई क्रेडिट पॉइंट आवंटित हों यह सुनिश्चित करना कार्यक्रम का संचालन करने वाले सीडीई प्रदाता(ओं) का उत्तरदायित्व होगा। संगठन क्रेडिट पॉइंट शीघ्रता से आवंटित करने के लिए इनमें से कोई भी उपाय अपना सकता है:

10.1.1. प्रवेश और निकास के स्तर पर बार कोड

10.1.2. वक्ता को व्याख्यान के आरंभ और अंत में एक कोड दिया जाएगा। कोड का लिफाफा व्याख्यान से ठीक पहले खोला जाएगा।

10.1.3. संबंधित राज्य दन्त परिषद द्वारा नियुक्त एक प्रेक्षक कार्यक्रम के दौरान उपस्थित रहेगा। प्रेक्षक प्रत्येक सीडीई प्रमाणपत्र पर मान्यता हेतु अपने हस्ताक्षर करेगा।

10.2. संगठन उपस्थिति व्यक्तियों के संपूर्ण आँकड़े कार्यक्रम से एक माह के अंदर राज्य परिषदों के समक्ष प्रस्तुत करेगा, अन्यथा आवंटित सीडीई पॉइंट मान्य नहीं होंगे। साथ-साथ, राज्य दन्त परिषदें भी उपर्युक्त के अनुसार सीडीई पॉइंट के आवंटन का उचित आकलन (ऑनलाइन को वरीयता) सुनिश्चित करेंगी और इसके लिए एक क्रियाविधि विकसित करेगी।

सूचना निम्नलिखित प्रारूप में होगी:

क्रमांक	नाम	राज्य दन्त परिषद की पंजीयन संख्या	मोबाइल	ईमेल	राज्य परिषद द्वारा आवंटित सीडीई कोड

नोट:- उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने वाले संगठन(नों) के, सीडीई प्रदाता के रूप में पंजीयन/की मान्यता, वापस लिया जा सकता/ली जा सकती है।

10.3 आकलन तंत्र एक स्व-घोषणा प्रारूप पर आधारित होगा जिसे चिकित्साभ्यासी द्वारा हर 5 वर्ष में डीसीआई / राज्य दन्त परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें वह इस अवधि में प्राप्त क्रेडिट घंटों की संख्या का विवरण देगा, और यदि आवश्यक हो तो, प्रतिभागिता के प्रमाणपत्र, पंजीयन पावतियों आदि के रूप में उपस्थिति के प्रमाण प्रस्तुत करने की हस्ताक्षरित घोषणा देगा। राज्य दन्त परिषदों को सलाह दी जाती है कि वे सीडीई के सफल कार्यान्वयन के लिए इसके डेटाबेस को इलेक्ट्रॉनिक विधि से अद्यतित करें। कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक यादृच्छिक संपरीक्षा तंत्र का प्रयोग किया जाएगा।

11. सीडीई प्रदाताओं के रूप में दन्त महाविद्यालयों की भूमिका

सभी डीसीआई मान्यता-प्राप्त दन्त संस्थानों को सलाह दी जाती है कि वे सतत दन्त शिक्षा के लिए एक स्वतंत्र विभाग गठित करें जिसमें एक पदनामित शिक्षक को नियुक्त किया जाए। उक्त विभाग संबंधित राज्य की सीडीई गतिविधियों के लिए नोडल केंद्र का कार्य करेंगे। महाविद्यालयों को सलाह दी जाती है कि वे हर तिमाही में नैदानिक हित का कम-से-कम एक सीडीई कार्यक्रम संचालित करें, इनमें आवश्यक क्षेत्र यथा पेशेवर नैतिकता, जैव-चिकित्सीय अवशिष्ट प्रबंधन, संक्रमण नियंत्रण, आधारभूत जीवन सहयोग तंत्र, विकिरण के खतरे की रोकथाम, एनएसीओ प्रोटोकॉल आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, दन्त महाविद्यालय प्रतिवर्ष कम-से-कम दो निःशुल्क सीडीई कार्यक्रम संचालित करेगा।

12. दूरस्थ / ऑनलाइन मोड से सतत दन्त शिक्षा

भारतीय दन्त परिषद और राज्य दन्त परिषद आधारभूत और उभरते हुए क्षेत्रों पर संस्थान आधारित ऑनलाइन सीडीई कार्यक्रम विकसित करेगी, और तदनुसार डीसीआई / राज्य दन्त परिषद उनके लिए सीडीई पॉइंट निर्धारित करेंगे।

13. किसी वर्ष विशेष में घंटों की एक निश्चित संख्या पूरी करने वालों के लिए प्रमाणन

13.1. राज्य दन्त परिषद अनुमोदित सीडीई गतिविधि के अनुसार, उपस्थित व्यक्तियों को उपस्थिति का प्रमाणपत्र जारी करेगी। सीडीई गतिविधि को डिप्लोमा/मास्टरशिप/परास्नातक/फेलोशिप/परसेप्टरशिप/असिस्टेंटशिप के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। प्रमाणपत्र पर कोई भी अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय प्रतीक-चिह्न नहीं होना चाहिए।

- 13.2. अंतरराष्ट्रीय संस्थानों और मान्य संगठनों, जो डीसीआई द्वारा अनुमोदित हों, के बलबूते उपचित हुए सीडीई पॉइंट को राज्य परिषदें मान्य सीडीई पॉइंट मान सकती हैं।
- 13.3. देश के बाहर किसी भारतीय संघ/संस्थान द्वारा सम्मेलन आयोजित किए जाने के मामले में, उस संबंधित राज्य दन्त परिषद द्वारा सीडीई पॉइंट दिए जाएंगे जहाँ उक्त संघ/संस्थान का सचिवालय स्थित है।
14. राज्य दन्त परिषदों और संस्थानों के लिए सीडीई प्रमाणन दिशा-निर्देश

प्रमाणपत्र की नमूनार्थ डिजाइन इस प्रकार है:-

नोट: प्रमाणपत्र पर प्रायोजकों के नाम या प्रतीक-चिह्न मुद्रित नहीं किए जाएंगे।

15. सीडीई पॉइंट के लिए स्व-आकलन प्रपत्र

भारतीय दन्त परिषद

स्व-घोषणा

01.04.20 से 31.03.20 तक की पंचवर्षीय अवधि के लिए

- मैंने/मुझे उपर्युक्त पंचवर्षीय अवधि की अनिवार्य सीडीई आवश्यकता पूरी कर दी है/पूरी करनी है।
- मैंने/मैं सत्यापनीय सीडीई पॉइंट के समर्थन में आवश्यक प्रलेखी साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए हैं/करूंगा/गी।
- मैंने/मैं वर्ष में सीडीई पॉइंट अर्जित कर लिए हैं/करूंगा/गी।
- मैं सीडीई कार्यक्रम से अवगत हूँ और मैं सीडीई कार्यक्रम में भाग लूंगा/गी और जहाँ आवश्यक हो वहाँ संबंधित प्रलेख प्रस्तुत करूंगा/गी।

- यहाँ ऊपर जो कुछ भी कहा गया है वह मेरे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान एवं विश्वास में सत्य व सही है।

नाम
पिता/माता का नाम
जन्म दिनांक
पंजीयन सं.
पता
.....
फोन मोबाइल
ईमेल आईडी
दिनांकित

दिनांकित:

हस्ताक्षर

16. राज्य दन्त परिषद की ओर से प्रशंसा

संबंधित राज्य दन्त परिषद कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक संख्या में सीडीई कार्यक्रम संचालित करने वाले सीडीई वक्ताओं/सीडीई प्रदाताओं को प्रशंसा प्रमाणपत्र जारी करेगी।

डॉ सन्यसाची साहा, सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा./231/18]

DENTAL COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 2018

No. DE-226-2017.—In exercise of the powers conferred by section 20 of the Dentists Act, 1948 (16 of 1948), the Dental Council of India, with the approval of the Central Governments, and in supersession of the Principal “Continuing Dental Education Regulations, 2007”, except in respect of things, done or omitted to be done before such supersession, the Dental Council of India hereby makes the following regulations, namely:—

- 1. Short title and commencement.**— (1) These Regulations may be called the Continuing Dental Education Regulations, 2018.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Definitions.**—In this Regulation, unless there is anything repugnant in the subject or context,—

- (a) "CDE" means, any activity in terms of lecture, demonstration, hands-on experience, training for dental professionals and para-dental staff resulting in imparting, improvement, enhancement, accentuate and advanced knowledge affecting knowledge, skill and attitude of dental professionals for the betterment of patient care and professionalism.
- (b) "CDE providers" include all DCI/MCI recognized teaching institutions having Dental Departments, Government Bodies, Armed Forces. CDE providers such as professional associations and national specialty organizations, will need to apply to the DCI/State Dental Councils for award of CDE points for meetings and conferences held under their aegis and this approval will be valid for a period of 5 years, subject to review.

3. Logistics and management of Implementation of CDE programs

The core objective of the CDE is to enhance the skill and attitude of dentists for the betterment of patient care and professionalism thus it should preferably be held in academic environment, convenient to the participants in terms of timings, fee etc.

4. Types of CDE programs

CDE will be considered valid if it results in imparting, improvement, enhancement, accentuate and advanced knowledge of dental professionals in any one/more/all of the following format

- (i) Lectures – Lecture should be in some presentation software viz power point, keynote, OHP etc.
- (ii) Lecture cum demonstration – Demonstration should be on typodont teeth or extract teeth
- (iii) Live demonstration on patients - will be only done by registered dental surgeons *
- (iv) Simulation training (with lecture)
- (v) Video conferencing
- (vi) Webinar
- (vii) Video Lectures with moderator
- (viii) Any hands-on activity for skill enhancement.
- (ix) Any other mode which impart, improve, enhance, accentuate and advance knowledge and skill of the professionals as may be prescribed and accepted by the DCI from the time to time.

* registered with any of the State Dental Councils. A foreign faculty has to have a temporary registration from the Dental Council of India u/s – 34 (2)(b)

5. Continuing Dental Education/Dental Education In India In Global Perspective,:

- 5.1 The demographic profile of India is transitioning to a low birth, low death rate with the population set to plateau at 1.6 billion. The age related profile of the population is set to change by 2025 with a decrease in the group below 15 years of age but with a proportionate increase in the adult age groups up to 60 years and above 60 years. The changing demographic profile is necessarily accompanied by changing disease patterns, increasing levels of education and health awareness, mere health spending by the Individual as well as the government. The patient centered and evidence based model of health care is becoming apparent in the Indian Context. The emergence of India as one the lead power house of economic growth and development in a globalized economy has led to a critical appraisal of the dental health care and educational scenario both from the public as well as the policy planners and the apex regulatory body, the DCI.
- 5.2 While the Dentist population ratio has been steadily improving due to the exponential growth of Dental Institutions of higher learning, the rapid pace of technological and scientific advances, the looming threat of HIV/AIDS, Hepatitis and risks of cross contamination in the dental clinic clearly mandate a system of continuing dental education to keep the Dental practitioner aware in terms of current knowledge & skills, thereby enhancing standards of care as well as projecting the Indian Dental Education and health care system onto a global model.

6. Implementation of a point system for continuing dental education

- 6.1 There should be a CDE credit point system for dentists in India and each and every dentist shall inform the respective State Dental Council from time to time otherwise, it would amount to a violation of the provisions of "Revised Dentists (Code of Ethics) Regulations, 2014".
- 6.2 Each and every dentist shall have to secure a total of 100 credit points within a period of every 5 years, provided a minimum of 20 credit points and a maximum of 25 credit points per annum.

Out of the 100 credit points in five years, twenty credit points shall be earmarked for the following mandatory topics (five credit points for each topic) :

- (i) Asepsis, infection control and waste management including NACO protocols
- (ii) Dental jurisprudence & Ethics,
- (iii) CPR and basic life support.
- (iv) Dental Practice Management

6.3 A grace period of one year may be awarded to a dentist, who has secured at least 75 CDE points in the allotted time of 5 years, for securing requisite mandatory 100 CDE points, if he/she could not obtain the same within stipulated time period, due to any reason. However, obtaining less than 75 CDE points by a dentist in any 5 years block will be considered as an unethical act and will be considered accordingly.

7. Award of CDE points

7.1 The credit points shall be awarded as follows:

- | | |
|--|--------------|
| (i) Full day lecture or conference (6 hours) | 6 CDE points |
| (ii) Half Day lecture or workshop (3 hours) | 3 CDE points |
| (iii) Evening product introduction/lecture business meeting (60 minutes) | 1 CDE points |
| (iv) Webinar with 60 minutes with Q&A (points for webinar will be given only after answering the question) | 1 CDE point |
| (v) Video Conferencing with 60 minutes (only during the conference) | 1 CDE point |
| (vi) Video Lecture with moderator with 60 minutes | 1 CDE point |

- Note:**
- (i) One credit point shall be equivalent to one hour of CDE programme in conformity with prevailing international norms.
 - (ii) The maximum limit of credit points per day is 6, even if the program goes beyond 6 hours.
 - (iii) Seminars/workshops conducted in an approved/recognised dental college by Dental teaching faculty with PG qualification, will also be considered for awarding CDE credit points

7.2 The speakers are eligible to obtain double CDE credit points.

8. Exemptions

- 8.1 Dentists above the age of 65 years.
- 8.2 Dental teaching faculty with MDS qualification working in a Dental College imparting Post-Graduate degree dental education and having more than 15 years MDS teaching experience in any recognised dental college.
- 8.3 PG Students during the period of their course.*
- 8.4 One year exemptions given for pregnancy and child birth**
- 8.5 The period of serious medical condition*** in respect of any dentist has to be exempted by the respective State Dental Council for considering any block year of 5 years.

*Maximum 60 credit points may be reduced depending on the period of the Course.

** 20 credit points may be reduced.

***Serious medical condition shall be duly certified by the competent Government Authority of the State.

9. Accreditation of National & International Speakers (Speakers Bank)

- 9.1 CDE will be conducted by accredited speakers duly approved/registered with Dental Council of India / State Dental Council to conduct CDE programmes.
- 9.2 Speakers (including the teaching faculty in the educational institutions) shall make an application to the DCI / State Dental Council furnishing their CV'S, Lecture details and the CD (of live lectures) alongwith Good Standing Certificate from the State Dental Councils to DCI / State Dental Council for the needful.
- 9.3 Accreditation of the speakers would be done by the Committee appointed by Dental Council of India / State Dental Council.
- 9.4 CDE points will be allotted only to programmes conducted by the DCI / State Dental Council accredited speakers.
- 9.5 Declaration of disclaimer for any commercial, industrial or promotional interest. The provisions of 8.15 of Revised Dentists (Code of Ethics) Regulations, 2014 may be referred to in the matter.

10. System of assessment of CDE credit points

- 10.1 It would be the responsibility of the CDE provider/s conducting the programme to ensure that only valid professionals who have attended the CDE activity in full, are allotted CDE credit points. The organization may adopt any of the following measures for prompt allotment of credit points:
- 10.1.1 Bar Code at Entry and Exit level
- 10.1.2 Speaker will be given a code at the beginning and end of the lecture. The code envelope shall be opened just before the lecture.
- 10.1.3 One observer appointed by the concerned State Dental Council shall be present during the programme. The observer shall put his/her signature on every CDE certificate for the validity.
- 10.2 The Organization shall submit the entire data of the attendees to the State Councils within a month of the programme, otherwise the allotted CDE points will not be valid. Simultaneously, the State Dental Councils would also ensure proper assessment of CDE points (preferably online) as above and would develop a mechanism for the same.

The information would be in format:

Sl. No.	Name	Registration Number of the State Dental Council	Mobile	Email	CDE code allotted by the State Council

Note:- The registration/recognition of the Organization/s, that do not adhere to the above guidelines, may be withdrawn as a CDE provider.

- 10.3 The system of assessment is to be based on a self declaration format to be submitted to the DCI /State Dental Council every 5 years by the practitioner in which he or she would detail the number of credit hours achieved in this period and a signed declaration of submission of proof of attendance in terms of certificates participation, registration receipts etc. if required. The State Dental Councils are advised to electronically update the database of the CDE for its successful implementation. A random audit system would be used to monitor the implementation.

11. Role of Dental Colleges as CDE providers

All the DCI recognized dental Institutions are advised to set-up an independent department for Continuing Dental Education manned by a designated faculty, to work as nodal centers for CDE activities for the concerned State. The colleges are advised to conduct at least one CDE program of clinical interest every quarter including essential areas viz. Professional Ethics, Bio-medical Waste Management, Infection Control, Basic Life Support System, Radiation Hazard Prevention, NACO

protocols etc. Moreover, the dental college shall conduct at least two free of charge CDE programs in a year.

12 Distance mode / Online mode of Continuing Dental Education

The Dental Council of India AND State Dental Council would develop an Institute based online CDE programmes on basic and emerging areas and CDE point for them will be decided by DCI / State Dental Council accordingly.

13. Certification for those who complete certain number of hours in a particular year

13.1 The State Dental Council will issue a certificate of attendance to the attendees, as per the approved CDE activity. The Certification is only for a testimonial for attendance and CDE points. The CDE activity shall not be projected as diploma/mastership/post-graduation/fellowship/perceptorship/assistantship. The Certificate should not carry any international/national Logo or name etc.

13.2 CDE points accrued by virtue of international institutions and valid Organization, approved by DCI, may be construed as valid CDE points by State Councils.

13.3 In case of an Indian Association/Institutions holding conference outside the country, the CDE points will be given by the concerned State Dental Council where the Secretariat of the said Association/Institution is situated.

14. CDE Certification guidelines for State Dental Councils and Institutions

The specimen design of the certificate is as follows:-

Note: The sponsors name or logo shall not be printed on the certificate

15. Self Assessment Forms for CDE points

DENTAL COUNCIL OF INDIA

SELF DECLARATION

For the Block Year 01.04.20__ to 31.03.20

- I have fulfilled/I have to fulfil the mandatory CDE requirement for the above mentioned block year.
- I have submitted / I will submit the necessary documentary proof in support of verifiable CDE points.
- I have earned / will earn.....CDE Points in the year.....

- I am aware about CDE Program and I will attend the CDE Program and will submit the relevant documents wherever it is necessary.
- Whatever stated herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief.

Name_____
Father/Mother's Name _____
Date of Birth _____
Registration No. _____
Address_____

Phone_____ Mobile_____
Email ID_____
Dated_____

Dated:

Signature

16. Appreciation from State Dental Council

The concerned State Dental Council will issue an appreciation Certificate to the CDE Speakers /CDE providers who conducts the maximum number of CDE programmes in a calendar year.

Dr. SABYASACHI SAHA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./231/18]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2018

सं. डीई-97(2)-2018.—दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 की धारा 20 के अंतर्गत भारतीय दन्त परिषद को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दन्त परिषद, केंद्र सरकार की अग्रिम स्वीकृति के साथ, भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांकित 27.06.2014 के भाग III खंड 4 में प्रकाशित एवं अधिसूचित मूल “संशोधित दन्त चिकित्सक (नैतिकता संहिता) विनियम, 2014” में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है:—

1. लघु शीर्षक एवं प्रारंभ:-

- इन विनियमों को संशोधित दन्त चिकित्सक (नैतिकता संहिता) (द्वितीय संशोधन) विनियमों का मसौदा, 2018 कहा जा सकता है।
- ये आधिकारिक राजपत्र में अपने प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होंगे।

2. “संशोधित दन्त चिकित्सक (नैतिकता संहिता) विनियम, 2014” में विनियम 8.9.6 के बाद एक नया विनियम 8.9.7 निम्नवत प्रविष्ट किया जाएगा:-

“8.9.7 सतत दन्त शिक्षा कार्यक्रमों के भाग के रूप में पेशेवर बैठकों में भागीदारी करके अपने पेशेवर ज्ञान को समृद्ध बनाना।”

डॉ सव्यसाची साहा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./231/18]

फुट नोट : मूल विनियम, नामतः संशोधित दन्त चिकित्सक (नैतिकता संहिता) विनियम, 2014 का प्रकाशन 27.06.2014 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग III खंड 4 में हुआ था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 2018

No. DE-97(2)-2018.—In exercise of the powers conferred upon the Dental Council of India under Section 20 of the Dentists Act, 1948, the Dental Council of India, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following amendment to the existing Principal “Revised Dentists (Code of Ethics) Regulations, 2014” published and notified in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary, dated 27.06.2014:—

1. Short title and commencement:-
 - (i) These Regulations may be called the Draft Revised Dentists (Code of Ethics) (2nd Amendment) Regulations, 2018.
 - (ii) They shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the “Revised Dentists (Code of Ethics) Regulations, 2014”, after Regulation 8.9.6, a new regulation 8.9.7 shall be inserted as under:-

“8.9.7 Not enriching his/her professional knowledge by participating in professional meetings as part of Continuing Dental Education programs.”

Dr. SABYASACHI SAHA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./231/18]

Foot Note : The Principal Regulations, namely, the Revised Dentists (Code of Ethics) Regulations, 2014 were published in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary, on 27.06.2014.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2018

सं. डीई-147/विविध-1/2018.—दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948 का 16वाँ) की धारा 10(4) या 10(50) के साथ सहपठित, धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दन्त परिषद, केंद्र सरकार के अनुमोदन के साथ, 13 अगस्त, 2009 को भारत के राजपत्र के भाग III खंड (4) में प्रकाशित मूल “भारतीय दन्त परिषद स्क्रीनिंग परीक्षण विनियम, 2009” में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियमों की रचना करती है:—

1. लघु शीर्षक एवं प्रारंभ:
 - (i) इन विनियमों को “भारतीय दन्त परिषद स्क्रीनिंग परीक्षण (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2018” कहा जा सकता है।
 - (ii) ये आधिकारिक राजपत्र में अपने प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होंगे।
2. मूल विनियम सं. 2(1) में, राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेस टेस्ट, एनईईटी) शब्द को परिभाषित करने वाला नया खंड (i) एतद्वारा प्रविष्ट किया जाता है:-
 - (i) “राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा” (नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेस टेस्ट, एनईईटी) का अर्थ किसी ऐसे परीक्षण या परीक्षा से है जिसे दन्त चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 10डी के अंतर्गत यथा-संशोधित एवं यथा-रचित प्रासंगिक विनियमों के अंतर्गत राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (नेशनल बोर्ड ऑफ़ एकज़ामिनेशन) द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा विहित किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर संचालित किया जाता है।
3. मूल विनियम सं. 5 में, “पात्रता मानदंड” शीर्ष के अंतर्गत, विनियम 5 के खंड (a) एवं (b) को एतद्वारा मिटाया जाता है एवं इस नए उपबंध द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:-

पात्रता मानदंड: इन विनियमों के प्रारंभ हो जाने के बाद, किसी भी व्यक्ति को केवल तब पात्रता प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु पात्र माना जाएगा जब:-

- (i) वह भारत का नागरिक/ओसीआई/पीआईओ कार्ड धारक हो; और
- (ii) उसने राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त की हो; और
- (iii) वह जिस विदेशी संस्थान में प्रवेश का इच्छुक है वह उस संबंधित देश में एक मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय हो; और

- (iv) पाठ्यक्रम नियमित एवं पूर्णकालिक होगा और न्यूनतम अवधि डीसीआई द्वारा उसके संबंधित विनियमों में विहित अवधि के अनुसार होगी; और
- (v) विदेशी संस्थान/विश्वविद्यालय में प्रवेश का न्यूनतम मानदंड डीसीआई द्वारा समय-समय पर यथा-संशोधित उसके संबंधित विनियमों में विहित मानदंडों के समकक्ष होगा;
- (vi) उसने सचिव, डीसीआई के नाम में नई दिल्ली में देय डिमांड ड्राफ्ट या पे ऑर्डर या समय-समय पर डीसीआई द्वारा विहित किए जा सकने वाले संब्यवहार माध्यम के द्वारा प्रक्रमण शुल्क के रूप में रु 3,000 (रुपये तीन हजार मात्र) का शुल्क संप्रेषित कर दिया हो;
- (vii) वह प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में डीसीआई द्वारा विहित की जा सकने वाली अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो।
4. मूल विनियम में, विनियम सं. 11 के वर्तमान उपबंध एतद्वारा मिटाए जाते हैं और स्क्रीनिंग परीक्षण तथा विषय एवं उनके अंकों के वितरण के निम्नलिखित नए पैटर्न द्वारा प्रतिस्थापित किए जाते हैं:-

प्रश्नपत्र-1 के लिए एमडीएस/पीजी डिप्लोमा के विषयों एवं अंकों का वितरण

विषय	ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी	ऑर्थो.	ओरल मेड.	पेरिओ.	प्रॉस्थो.	ओरल पैथो.	पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री	पीडो. एंड प्रीवे. डेंटिस्ट्री	कॉन्स. एंड एंडो.
एनाटमी	10	20	10	20	10	10	10	10	10
फिज़ियॉलजी	10	20	10	20	10	10	10	10	10
बायोकेमिस्ट्री	10	शून्य	10	10	05	10	10	10	10
जनरल पैथॉलजी	10	10	10	10	05	10	10	10	10
जनरल माइक्रोबायॉलजी	10	शून्य	10	10	05	10	10	10	10
ओरल पैथॉलजी	10	शून्य	10	10	05	10	10	10	10
ओरल माइक्रोबायॉलजी		शून्य	10	10	05				
फार्माकॉलजी	10	15	10	10	05	10	10	10	10
जनरल मेडिसिन	10	शून्य	10	शून्य	05	10	10	10	10
जनरल सर्जरी	10	शून्य	10	शून्य	05	10	10	10	10
एप्लाइड डेंटल मटीरियल्स	10	35	शून्य	शून्य	40	10	10	10	10
प्रश्नों की कुल संख्या	100	100	100	100	100	100	100	100	100

एमडीएस/पीजी डिप्लोमा प्रश्नपत्र-2 संबंधित विषयों में विशेषज्ञता प्रश्न - 150

- (i) प्रश्नपत्र-1 की अवधि 120 मिनट और प्रश्नपत्र-2 की अवधि 180 मिनट है।
- (ii) प्रत्येक प्रश्न एक अंक का है।
- (iii) ऋणात्मक अंकन नहीं होगा।
- (iv) कृपांक नहीं दिए जाएंगे।
- (v) मौखिक परीक्षा में भाग लेने हेतु अर्ह होने के लिए अभ्यर्थी को प्रत्येक प्रश्नपत्र में अलग-अलग 50% अंक प्राप्त करने होंगे।
- (vi) एमडीएस/पीजी डिप्लोमा एवं बीडीएस उपाधि धारक के संबंध में डीसीआई स्क्रीनिंग परीक्षण परीक्षा का मानक, भारतीय विश्वविद्यालयों हेतु विहित मानक के समकक्ष होगा।

एमडीएस/पीजी डिप्लोमा - मौखिक परीक्षा

- 50

अभ्यर्थी को मौखिक परीक्षा में अलग से 50% अंक प्राप्त करने होंगे।

एमडीएस/पीजी डिप्लोमा की मौखिक परीक्षा के परीक्षक

मौखिक परीक्षा के लिए दो परीक्षक होंगे; उनमें से एक, परीक्षा संचालित करने वाले विश्वविद्यालय से आंतरिक परीक्षक होगा और दूसरा किसी ऐसे अन्य विश्वविद्यालय से होगा जो मान्यता प्राप्त स्नातक एवं परास्नातक दंत अर्हता प्रदान करता हो।

अनिवार्य क्लीनिकल सक्षमता प्रशिक्षण (केवल परास्नातक उपाधि पर लागू)

जो अभ्यर्थी अपनी एमडीएस उपाधि/पीजी डिप्लोमा को मान्यता प्रदान किए जाने के लिए स्क्रीनिंग परीक्षण में अर्हता प्राप्त कर लेता है वह, उसे आवश्यक उत्तीर्ण प्रमाणपत्र जारी किए जाने से पहले, अभ्यर्थी के निवास के निकट के किसी मान्यता प्राप्त सरकारी दंत संस्थान के संबंधित विशेषज्ञता विभाग के किसी विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में 12 सप्ताह की अवधि के लिए अनिवार्य क्लीनिकल सक्षमता प्रशिक्षण प्राप्त करेगा। उक्त सरकारी दंत संस्थान अभ्यर्थी को अनिवार्य क्लीनिकल सक्षमता प्रशिक्षण निःशुल्क प्रदान करेगा।

बीडीएस स्नातकों हेतु विषयों एवं अंकों का वितरण

विषय	बीडीएस हेतु एमसीक्यू की संख्या	विषय	बीडीएस हेतु एमसीक्यू की संख्या
	प्रश्नपत्र 1		प्रश्नपत्र 2
एनाटमी	10	डेंटल एनाटमी एंड हिस्टॉलजी	10
फिज़ियॉलजी	10	डेंटल मटीरियल्स	10
बायोकेमिस्ट्री	10	ओरल पैथॉलजी	10
माइक्रोबायॉलजी	10	ओरल माइक्रोबायॉलजी	10
पैथॉलजी	10	ओरल मेडिसिन	10
फार्माकॉलजी	10	ओरल रेडियॉलजी	10
जनरल मेडिसिन	20	ओरल सर्जरी	10
जनरल सर्जरी	20	पेरियोडॉंटिक्स	10
		ऑर्थोडॉंटिक्स	10
		कम्यूनिटी/पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री	10
		पीडोडॉंटिक्स एंड प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री	10
		प्रॉस्थोडॉंटिक्स क्राउन एंड ब्रिज	20
		कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडॉंटिक्स	20
कुल प्रश्न	100	कुल प्रश्न	150

बीडीएस प्रश्नपत्र-2 संबंधित विषयों में विशेषज्ञता प्रश्न – 150

- प्रश्नपत्र-1 की अवधि 120 मिनट और प्रश्नपत्र-2 की अवधि 180 मिनट है।
- प्रत्येक प्रश्न एक अंक का है।
- ऋणात्मक अंकन नहीं होगा।
- कृपांक नहीं दिए जाएंगे।
- मौखिक परीक्षा में भाग लेने हेतु अर्ह होने के लिए अभ्यर्थी को प्रत्येक प्रश्नपत्र में अलग-अलग 50% अंक प्राप्त करने होंगे।

बीडीएस- मौखिक परीक्षा - 50

अभ्यर्थी को मौखिक परीक्षा में अलग से 50% अंक प्राप्त करने होंगे।

बीडीएस की मौखिक परीक्षा के परीक्षक

मौखिक परीक्षा के लिए दो परीक्षक होंगे; उनमें से एक, परीक्षा संचालित करने वाले विश्वविद्यालय से आंतरिक परीक्षक होगा और दूसरा किसी अन्य विश्वविद्यालय बाहरी परीक्षक। विदेशी स्नातक/परास्नातक दंत अर्हता को मान्यता प्रदान करने हेतु मौखिक परीक्षा के लिए नियुक्त किए गए परीक्षकों की अर्हता, समय-समय पर यथा-संशोधित डीसीआई संशोधित बीडीएस पाठ्यक्रम विनियम, 2007 एवं एमडीएस विनियम, 2007 एवं 2017 में परीक्षकों के लिए विहित अर्हता के समकक्ष होगी।

स्क्रीनिंग परीक्षण में उत्तीर्ण घोषित करने का मानदंड

अभ्यर्थी को सैद्धांतिक प्रश्नपत्र एवं मौखिक परीक्षा, दोनों अलग-अलग उत्तीर्ण करने होंगे। यदि कोई अभ्यर्थी सैद्धांतिक प्रश्नपत्र में उत्तीर्ण नहीं होता है तो उसे मौखिक परीक्षा देने की अनुमति नहीं होगी और यदि कोई अभ्यर्थी मौखिक परीक्षा में या सैद्धांतिक के किसी एक प्रश्नपत्र में अनुत्तीर्ण हो जाता है उसे सैद्धांतिक प्रश्नपत्र और मौखिक परीक्षा, दोनों दोबारा देनी होंगी। जिन परास्नातक विद्यार्थियों को 12 सप्ताह का अनिवार्य क्लीनिकल सक्षमता प्रशिक्षण पूरा करना है वे संबंधित राज्य दन्त परिषद में उसके पंजीयन हेतु अपनी योजक (एड ऑन) अर्हता के पात्र होंगे।

5. मूल विनियम सं. 12 में, अभ्यर्थियों पर केवल 3 प्रयासों का प्रतिबंध लगाने वाला उपबंध एतद्वारा मिटाया जाता है एवं निम्नलिखित नए खंड द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:-

“स्क्रीनिंग परीक्षण में भाग लेने और उत्तीर्ण करने के प्रयासों की अधिकतम संख्या पर कोई सीमा नहीं है।

बशर्ते कि अभ्यर्थी पंजीयन के लिए केवल तब पात्र होगा जब वह मौखिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ले और अनिवार्य क्लीनिकल सक्षमता प्रशिक्षण पूरा कर ले”।

6. मूल विनियम सं. 16, एतद्वारा हटाया जाता है।

डॉ सन्यसाची साहा, सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा./231/18]

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 2018

No. DE-147/Misc-I/-2018.—In exercise of the powers conferred by section 20 read with Section 10(4) or 10(5) of the Dentists Act, 1948 (16 of 1948), the Dental Council of India, with the approval of the Central Government, hereby makes the following Regulations to further amend the Principal “Dental Council of India Screening Test Regulations, 2009” published on 13th August, 2009, in Part—III, Section (4) of the Gazette of India, namely:—

1. **Short title and commencement:**

- (i) These regulations may be called the “Dental Council of India Screening Test (2nd Amendment) Regulations, 2018.
- (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Principal Regulation No. 2 (1) new clause (i) defining the word National Eligibility Cum-Entrance Test (NEET) is hereby inserted:-

- (i) “National Eligibility-cum-Entrance Test (NEET) means any Test or Examination conducted by National Board Examination or by any other authority prescribed by the Central Government, from time to time, under the relevant regulations as amended and framed u/s 10D of the Dentists (Amendment) Act, 2016”

3. In the Principal Regulation No. 5, under the heading ‘Eligibility Criteria’, the clause (a) & (b) of regulations 5 is hereby deleted and substituted by this new provision:-

Eligibility Criteria: After commencement of these regulations, no person shall be eligible to obtain Eligibility Certificate unless:-

- (i) He/she is a citizen of India/OCI/PIO Card holders; and
- (ii) He/she has qualified the National Eligibility-cum-Entrance Test; and
- (iii) The foreign institution where he/she desires to get admission shall be a recognised institution/University in the respective country; and
- (iv) The course shall be a regular one and full time with the minimum duration of the period as prescribed by DCI in its respective regulations; and
- (v) The minimum criteria for admission in the foreign Institution/University shall be at par with the criteria prescribed by DCI in its respective regulations as amended from time to time.

- (vi) He/she has been remitted the fee of Rs. 3,000 (Rupees Three Thousand Only) as processing fee by the way of Demand Draft or Pay Order or any Mode of Transaction as the DCI may prescribe from time to time, in favour of Secretary, DCI payable at New Delhi.
- (vii) He/she fulfils the other requirements as the DCI may prescribe in the facts and circumstances of each case.
4. In the Principal Regulation, the existing provisions of Regulations No. 11, is hereby deleted and substituted by the following new pattern of Screening Test and distribution of the subject and marks, therefore:-

Distribution of subject and marks for MDS/PG Diploma for Paper-I

Subjects	Oral & Maxillofacial Surgery	Ortho	Oral Med	Perio.	Prosth	Oral Patho.	Public Health Dentistry	Paedo. & Prev Dentistry	Cons & Endo.
Anatomy	10	20	10	20	10	10	10	10	10
Physiology	10	20	10	20	10	10	10	10	10
Biochemistry	10	Nil	10	10	05	10	10	10	10
General Pathology	10	10	10	10	05	10	10	10	10
General Microbiology	10	Nil	10	10	05	10	10	10	10
Oral Pathology		Nil	10	10	05				
Oral Microbiology	10	Nil	10	10	05	10	10	10	10
Pharmacology	10	15	10	10	05	10	10	10	10
General Medicine	10	Nil	10	Nil	05	10	10	10	10
General Surgery	10	Nil	10	Nil	05	10	10	10	10
Applied Dental Materials	10	35	Nil	Nil	40	10	10	10	10
Total No. Of Questions	100	100	100	100	100	100	100	100	100

MDS/PG Diploma Paper II- Speciality Questions in the respective subjects – 150

- (i) Duration of Paper-I is 120 Minutes & paper II is 180 Minutes
- (ii) Each question carries one mark.
- (iii) There will be no negative marking.
- (iv) There will be no grace marks.
- (v) The candidate has to score 50% in each paper individually to qualify for appearing in the viva-voce examination.
- (vi) The standard of DCI Screening Test Exam in respect of MDS/PG Diploma and BDS degree holder would be at par with the standard prescribed for Indian universities.

MDS/PG Diploma– Viva-voce examination - 50

The candidate has to separately score 50% in the viva-voce examination.

Examiners for Viva-Voce Examination for MDS/PG Diploma

There shall be two examiners for Viva-Voce; out of whom, one internal from examining university and one external from any other university which awards recognised Undergraduate and Postgraduate Dental qualification.

Compulsory Clinical Competence Training (Applicable only to Post-Graduate degree)

The candidate who qualifies the Screening Test for recognition of his MDS Degree/ PG Diploma shall, before issue of the necessary passing certificate to him/her, have to undergo a compulsory clinical competence training for a period of 12 weeks under the guidance of a specialist in the concerned speciality at a recognised Government dental institution which would be near the resident of the candidate. Such Government dental institution shall impart Compulsory Clinical Competence Training free of cost to the candidate.

Distribution of subject and marks for BDS graduates

Subject	No. Of MCQs for BDS	Subject	No. Of MCQs for BDS
	<i>Paper I</i>		<i>Paper II</i>
Anatomy	10	Dental Anatomy & Histology	10
Physiology	10	Dental Materials	10
Biochemistry	10	Oral Pathology	10
Microbiology	10	Oral Microbiology	10
Pathology	10	Oral Medicine	10
Pharmacology	10	Oral Radiology	10
General Medicine	20	Oral Surgery	10
General Surgery	20	Periodontics	10
		Orthodontics	10
		Community /Public Health Dentistry	10
		Pedodontics and Preventive Dentistry	10
		Prosthodontics Crown & Bridge	20
		Conservative Dentistry & Endodontics	20
Total Questions	100	Total Questions	150

BDS Paper II- Speciality Questions in the respective subjects – 150

- (i) Duration of Paper-I is 120 Minutes & paper II is 180 Minutes
- (ii) Each question carries one mark
- (iii) There will be no negative marking.
- (iv) There will be no grace marks.
- (v) The candidate has to score 50% in each paper individually to qualify for appearing in the viva-voce examination.

BDS– Viva-voce examination - 50

The candidate has to separately score 50% in the viva-voce examination

Examiners for Viva-Voce Examination for BDS

There shall be two examiners for Viva-Voce, out of whom, one internal from examining university and one external from any other university. The qualification of examiners appointed for viva-voce for recognition of foreign UG/PG dental qualification would be at par with the qualification prescribed for examiners in the DCI Revised BDS Course Regulations, 2007 and MDS Course Regulations, 2007 and 2017, as amended from time to time.

The criteria to declare pass the Screening Test

The candidate shall have to pass both the theory paper and Viva-Voce separately. In case, any candidate does not qualify a theory paper shall not be allowed to appear in the Viva-Voce and the candidate who fails in Viva-Voce or in one paper of theory shall have to reappear in both the theory paper and Viva-Voce also. The PG students who have to undergo and complete the 12th weeks Compulsory Clinical Competence Training shall be entitled for his add on qualification for its registration with respective State Dental Council.

5. In the Principal Regulation No. 12, providing for restriction of the candidates only to the 3 attempts is hereby deleted and substituted by the following new clause:-
“There is no limit on the maximum number of attempts to appear and pass in the Screening Test.
Provided that the candidate shall not be eligible for registration unless and until he or she qualify the Viva-Voce and undertake Compulsory Clinical Competence Training”
6. In the Principal Regulation, No. 16 is hereby deleted.

Dr. SABYASACHI SAHA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./231/18]